

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थी :-

- नारायणसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

- अप्रार्थीगण :-
- स्व. जयसिंह पुत्र सबलसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
 - 1/1. किशोरसिंह पुत्र स्व. जयसिंह,
 - 1/2. सुमेरसिंह पुत्र स्व. जयसिंह,
 - 1/3. भंवर कंवर पुत्री स्व. जयसिंह,
 - 1/4. छगन कंवर पत्नी स्व. जयसिंह,
 तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण, ग्राम कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर
 - ग्राम पंचायत कोसेलाव, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत विविध- 15/2021

जीसीएमएस नम्बर- 2021/155

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9-7-21	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत कोसेलाव तहसील सुमेरपुर के द्वारा प्रस्ताव संख्या 05(V) दिनांक 02.11.1981 मिसल संख्या 13/1981-1982 द्वारा जारी पट्टा संख्या 18 में स्थगन प्राप्त करने हेतु पेश की है। प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 6/9/21 को पेश हो।	
12/7/21	अधिवक्ता प्रार्थी श्री नारायणसिंह के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज दिनांक 12.7.2021 को पेशी पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि इस स्थगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पट्टा संख्या 18 प्रस्ताव संख्या 5(V) दिनांक 02.11.1981 मिसल संख्या 13/1981-82 में पारित आदेशों की पालना में जारी किया जाना उल्लेखित किया है। जिसे खारिज कराने हेतु पंचायत निगरानी इस न्यायालय में दायर कर दी है जिसके निगरानी संख्या 29/2021 है तथा सुनवाई दिनांक 6.9.2021 को रखी गई है उपरोक्त पट्टे की आड़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमी खसरा नंबर 1312 के पास ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा जैर निगरानी पट्टा भूमी का कागजों में कार्यवाही करते हुए प्लान बनाकर भूखण्ड काटे और निलामी प्रक्रिया द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं उक्त भूमी पर प्रार्थी का कब्जा शान्तिपूर्ण बरकरार है अप्रार्थी ने उक्त पट्टा ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर	1066/0668 12/7/21

जिला कलेक्टर, पाली

जारी कराया है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी में इसी भूमी से होकर जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पट्टा भूमी पर अप्रार्थीगण पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसके फोटोग्राफ भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश किए गए। तथा निवेदन किया कि पक्का निर्माण अप्रार्थीगण द्वारा कर दिया गया तो उक्त भूमी से उन्हें बेदखल करना मुश्किल होगा तथा प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी। इस बाबत विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर ने भी प्रार्थी के द्वारा गैर कानूनी रूप से जारी निर्माण स्वीकृती के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश करने पर उन्होंने उक्त विवादित भूमी के मौको पर प्रकरण के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु ग्राम पंचायत कोशेलाव को निर्देशित किया गया है। जिसकी प्रति भी संलग्न पेश की है स्थगन आदेश पट्टा संख्या 17 एवं पट्टा संख्या 18 की दोनों की भूमी के सम्बन्ध में यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था के भंग होने का भी पूर्ण अंदेशा है इस बाबत एफआईआर भी दर्ज हुई है उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के मध्यनजर प्रकरण में ताफैसला स्थगन आदेश जारी कराने की आज्ञा प्रदान करावे। जिसमें प्रार्थी को राहत मिल सके एवं प्रार्थी खर्चे से जैर बार भी न हो।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की खातेदारी भूमी के पास ही उक्त भूमी होना अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया है तथा उक्त स्थान पर प्रार्थीगण का लाटा होना जाहिर किया है। इससे वह प्रभावित हुआ है। तथा दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद हुआ है इसकी ताईद दोनों पक्षों वगैरा के मध्य पुलिस थाना तखतगढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 117/21, 118/21 व 140/21 से भी स्पष्ट है जो अन्तर्गत धारा 143, 447, 427, 323 के दर्ज हुई है उक्त आराजी पर कब्जा करने बाबत किए जा रहे निर्माण कार्य के फोटोग्राफ भी पेश किए गए हैं इससे शान्ति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा है तथा अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमी पर निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो प्रार्थी को क्षति होगी साथ ही उसे हटाया जाना भी मुश्किल होगा इन्हीं परिस्थितियों के मध्य नजर विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा पत्रांक पं.स.सु./2021/509 दिनांक 16.6.2021 के मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोशेलाव को निर्देशित करते हुए प्रति प्रभारी पुलिस चौकी कोशेलाव को भी प्रेषित की है। इसी भूमी में पूर्व में जारी 10-12 पट्टे ग्राम पंचायत कोशेलाव द्वारा जारी किए गए थे जो पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा खारिज किए गए हैं।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों के मध्यनजर रखते हुए उभयपक्ष को पट्टा संख्या 18 दिनांक 02.11.1981 मिसल संख्या 13/1981-82 जो ग्राम पंचायत कोशेलाव के प्रस्ताव संख्या 5(V) दिनांक 02.11.1981 की पालना में जारी किया गया उससे संबंधित आराजी के संबंध में मौके एवं रेकर्ड की ताफैसला यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये जाते हैं। स्थगन पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर मूल निगरानी संख्या 29/2021 के संलग्न हो।


जिना कलेक्टर, पाली